

अधिसूचना
(राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम-2016)

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1(4)खेल/2011 दिनांक 01.06.2012 के अधिक्रमण में राज्यपाल, युवा मामले एवं खेल विभाग के नियन्त्रणाधीन वित्तीय सहायता अनुदान अभिदाय, ईनाम, सहायता, उपहार, दान इत्यादि के प्रदाय हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम-2012 में संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम** :- इन नियमों का नाम राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम, 2016 है।
2. **प्रारम्भ** :- ये तुरन्त प्रभावी होंगे
3. **परिभाषाएं** :- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों इन नियमों में –
 - (क) अनुदान से सहायता अनुदान अभिदाय, ईनाम, सहायता, उपहार, दान इत्यादि अपेक्षित है।
 - (ख) "मंत्री" से खेल मंत्री राजस्थान अभिप्रेत है। जिसमें खेल राज्य मंत्री और खेल उप मंत्री भी सम्मिलित है।
 - (ग) "सचिव" से राजस्थान सरकार में युवा मामले एवं खेल विभाग का प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव अभिप्रेत है।
 - (घ) "परिषद" से राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर अभिप्रेत है।
 - (ङ) "क्रीडा" से अभिप्राय समस्त प्रकार की खेल गतिविधियों व इनके अन्तर्गत आयोजित स्पर्धाओं से है।
 - (च) खिलाड़ी शब्द से आशय :- सामान्य खिलाड़ी, निःशक्त खिलाड़ी (डीफ व डम्ब, नेत्रहीन, पैरालिम्पिक) जूनियर, यूथ एवं सब-जूनियर खिलाड़ी।
अथवा
उत्कृष्ट और सराहनीय खिलाड़ियों / खेल प्रशिक्षकों के समस्त प्रवर्ग अभिप्रेत है जिनमें महिला खिलाड़ी / खेल प्रशिक्षक भी सम्मिलित है।

(छ) "अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं" -

1. ओलम्पिक खेल (ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन / पैरा ओलम्पिक्स)
2. चार वर्षीय वर्ल्ड कप एवं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
3. एशियन गेम्स
4. कॉमनवेल्थ गेम्स
5. वार्षिक व द्वैवार्षिक (Annual/ Biennial) वर्ल्ड कप अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियशिप एवं वर्ल्ड चैम्पियशिप जिसका आयोजन संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा किया गया हो।
6. एशियन चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
7. कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
8. साउथ एशियन गेम्स
9. साउथ एशियन चैम्पियनशिप

(ज) "राष्ट्रीय स्पर्धाएं" –

नेशनल गेम्स, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित नियमित राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताएँ।

(झ) "राज्य स्पर्धाएं" –

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित नियमित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ।

(ञ) जिला/तहसील/पंचायत स्पर्धाएं:-

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित नियमित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ।

(य) अन्य क्षेत्रीय प्रतियोगिताएँ, विभागीय प्रतियोगिताएँ एवं परम्परागत रूप से पूर्व में चली आ रही प्रतियोगिताएँ :-

जैसे:- लोहागढ केसरी दंगल, लक्ष्मण पहलवान स्मृति कुश्ती दंगल, आडवानी मैमोरियल बॉस्केबाल प्रतियोगिता, हनुमानसिंह स्मृति हैण्डबाल प्रतियोगिता आदि जो खेल संघों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

4. पात्रता – वित्तीय सहायता के लिए विचार हेतु निम्नलिखित पात्र होंगे :-

1. ऐसे क्रीडा निकाय जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय महासंघों या राज्य संघों से संबद्ध हो।
2. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद या यथास्थिति जिला क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत निकाय।
3. सोसायटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत क्रीडा क्लब।
4. खिलाडी/खेल प्रशिक्षक/अम्पायर/रैफरी जो कि राजस्थान के मूल निवासी हों।

टिप्पणी :-

ऐसी क्रीडा संस्था/संगठन या व्यक्तिगत खिलाडी जिसने आवेदित स्पर्धा के लिए राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, किसी अन्य सरकारी विभाग, किसी अन्य स्रोत से पहले ही कोई सहायता प्राप्त कर ली हो या जिसे स्वीकृत कर दी गयी हो, उसी खेल प्रयोजन, जिसके लिए घोषणा की जानी है, के लिए किसी ऐसे अनुदान का पात्र नहीं होगा तथा इस विभाग से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् उसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से और सहायता/अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. आवर्ती अनुदान

आवर्ती अनुदान	सीमा जिस तक अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
5.1 रजिस्ट्रीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था / विद्यालय या महाविद्यालय को खेल और क्रीडा प्रशिक्षण चलाने के लिए अनुदान।	पहली बार अनुदान राशि पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्ती व्यय के 25% से अधिक नहीं होगा तथापि उपयुक्त मामले में यह प्रतिवर्ष 10% तक गुणावगुण के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
5.2 ऐसे विभिन्न संबंध क्रियाकलापों के लिए जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं किन्तु नियमित आधार पर चलाये जाते हैं।	प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर।

6. अनावर्ती अनुदान और उसकी सीमा :-

6.1 क्रीडा निकायों द्वारा आयोजन/प्रतियोगिता /टूर्नामेन्ट

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	5 देशों की टीमों	05	5.00 लाख
	6 देशों की टीमों		6.00 लाख
	7 देशों की टीमों		7.00 लाख
	8 देशों की टीमों		8.00 लाख
	9 देशों की टीमों		9.00 लाख
	10 देशों एवं अधिक की टीमों		10.00 लाख
राष्ट्रीय प्रतियोगिता	08 राज्यों की टीमों	10	3.00 लाख
	10 राज्यों की टीमों		4.00 लाख
	12 राज्यों की टीमों		5.00 लाख
राज्य प्रतियोगिता	8 जिलों से अधिक टीमों	50	1.00 लाख
	10 जिलों से अधिक टीमों		1.50 लाख
	12 जिलों से अधिक टीमों		2.00 लाख
जिला प्रतियोगिता	6 टीमों	30	0.50 लाख
	8 टीमों		0.75 लाख
	10 टीमों		1.00 लाख
अन्य क्षेत्रीय/विभागीय पूर्व में चल रही प्रतियोगिता	10 टीमों	<u>20</u>	2.00 लाख
तहसील स्तर/ब्लॉक स्तर प्रतियोगिता	5 टीमों	<u>20</u>	0.15 लाख
पंचायत स्तर प्रतियोगिता	6 टीमों	<u>30</u>	0.10 लाख

6.2 उपकरणों एवं किटों के क्रय हेतु :-

- व्यक्तिगत किट एवं उपकरण – तीरंदाजी, साईक्लिंग, निशानेबाजी, एथलेटिक्स एवं घुडसवारी खेलों के अतिरिक्त खेल में प्रत्येक मामले में रुपये 1,00,000/- तक
- व्यक्तिगत किट एवं उपकरण – तीरंदाजी, साईक्लिंग, निशानेबाजी, एथलेटिक्स एवं घुडसवारी हेतु – प्रत्येक मामले में रुपये 5.00 लाख तक

सम्बन्धित मद हेतु पात्रता की शर्तें :-

- राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
- जूनियर व सीनियर वर्ग का हो।
- सर्विसेज/रेलवे आदि अन्य विभाग को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- बिन्दु सं. 3 (ज) में वर्णित राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर।

(6.3) व्यक्तिगत प्रशिक्षण हेतु :-

1. राज्य के अन्दर – 30,000 /– रु. तक।
2. राज्य के बाहर परन्तु देश के अन्दर – 75,000 /– रु. तक – बिन्दु सं. 3 (झ) में वर्णित राज्य स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर।
3. देश के बाहर – 3,00,000 /– रु. तक – बिन्दु सं. 3 (ज) में वर्णित राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर।

सम्बन्धित मद हेतु पात्रता की शर्तें :-

1. राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. जूनियर व सीनियर वर्ग का हो।
3. सर्विसेज/रेलवे आदि अन्य विभाग को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6(4) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर:-

- (i) खिलाड़ी / प्रशिक्षणार्थी
300 /– प्रतिदिन (अधिकतम तीस दिनों के लिए)
- (ii) खेल प्रशिक्षक
2,000 /– प्रतिदिन राज्य स्तर के प्रशिक्षक को
5,000 /– प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक को
10,000 /– प्रतिदिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक को

6(5) क्रीडा कार्यों का प्रकाशन, मोनोग्राफ, मेन्यूअल नियम/संशोधन के प्रकाशन:-

- क. निम्न श्रेणी के क्रीडा प्रकाशन कार्य होने पर ही उपरोक्त अनुदान देय होगा:-
1. किसी विशेष खेल से संबंधित प्रकाशन कार्य (खेल विवरणिका, नियम व शर्तें, खेल उपकरण, आधारभूत संरचनाओं संबंधित सूचनाएँ)
 2. नवीन खेल विकास संबंधित सूचनाएँ
 3. स्पोर्ट्स मेडीसिन
 4. खेल मनोविज्ञान
 5. खेल आहार
- ख. प्रकाशन के व्यय का 50 प्रतिशत का भुगतान सहकारी प्रेस/राजकीय मुद्रणालय से लागत आकलन अनुसार किया जावेगा।
- ग. प्रकाशन की दस प्रतियां युवा मामले एवं खेल विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध करानी होगी।

6.6 राज्य के बाहर भारत में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अनुदान :-

- विभाग द्वारा जारी खेलों की "A" श्रेणियों की सूचीनुसार।
आवास सुविधा नि:शुल्क: रुपये 500 /– प्रति सहभागी प्रतिदिन।
आवास व भोजन की सुविधा नहीं होने पर:
रुपये 1500 /– तक प्रति सहभागी प्रतिदिन।

6(7) (क) भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीडा में भाग लेने वाले के लिए अनुदान :-
बिन्दु सं.3 (छ) में वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर दोनों ओर का वायुयान किराया तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को \$50 (पचास डॉलर) के समतुल्य रूपये प्रतिदिन।

टिप्पणी:- उपरोक्त मद में यदि भारत सरकार द्वारा राशि दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा राशि देय नहीं होगी।

6(7)(ख) खिलाड़ियों को देय पुरस्कार राशि :-

क. अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाएँ :-

किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीडा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर –
5,00,000 /- रू तक

किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीडा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर –
3,00,000 /- रू तक

किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीडा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर –
2,50,000 /- रू तक

ख. राष्ट्रीय स्पर्धाएँ :-

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर – 2,00,000 /- रू तक

द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर – 1,50,000 /- रू तक

तृतीय स्थान प्राप्त करने पर – 1,25,000 /- रू तक

ग. राज्य स्पर्धाएँ :-

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर – 1,00,000 /- रू तक

द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर – 50,000 /- रू तक

तृतीय स्थान प्राप्त करने पर – 30,000 /- रू तक

इस विषय पर साधारण नियम निम्न प्रकार होंगे—

1. खेलों के लिए जारी श्रेणी अनुसार प्रतियोगिता हेतु पुरस्कार दिये जावेंगे (परिशिष्ट A & B संलग्न)
2. श्रेणी ए – भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त खेलों को सम्मिलित किया गया है।

3. पुरस्कार राशि – बिन्दु संख्या 6 (7)(ख) में अंकित पुरस्कार राशि का 100% श्रेणी बी – युवा मामलें एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ परन्तु वह महासंघ जो भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है।

4. पुरस्कार राशि – बिन्दु संख्या 6 (7)(ख) में अंकित पुरस्कार राशि का 50% श्रेणी सी – श्रेणी ए व बी में सम्मिलित खेलों के अतिरिक्त अन्य समस्त खेलों को श्रेणी सी में सम्मिलित किया गया है।

पुरस्कार राशि – युवा मामलें एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्रेणी-सी के खेलों को शिथिलता प्रदान कर पुरस्कार राशि 25% निर्धारित की जावेगी।

नोट :- श्रेणी ए, बी व सी खेल परिशिष्ट "A & B" पर संलग्न है।

5. खिलाड़ियों को खेलों की "A, B & C" श्रेणी अनुसार पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी :-

सीनियर वर्ग - 100%

जूनियर वर्ग - 75%

यूथ या सब-जूनियर वर्ग - 50%

6. टीम खेल में उपरोक्त वर्णित व्यक्तिगत पुरस्कार राशि को गुणात्मक कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को बराबर-बराबर देय होगी :-

i. एक टीम में 2 खिलाड़ी होने पर - पुरस्कार राशि का डेढ गुना देय होगी।

ii. एक टीम में 3 से 4 खिलाड़ियों के होने पर - पुरस्कार राशि का दो गुना देय होगी।

iii. एक टीम में 5 से 10 खिलाड़ियों के होने पर - पुरस्कार राशि का तीन गुना देय होगी।

iv. एक टीम में 10 से अधिक खिलाड़ियों के होने पर - पुरस्कार राशि का पांच गुना देय होगी।

नोट:- टीम श्रेणी की उपरोक्त शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगी।

6.8 क्रीड़ा के लिए मुख्यमंत्री / खेल मंत्री द्वारा घोषणा :-

ऐसी टीम या व्यष्टिक खिलाड़ी का व्यक्ति जो खेल क्रियाकलापों या क्रीड़ा के विकास के प्रति योगदान के कारण प्रशंसा का पात्र हो, का सम्मान करने हेतु समारोह आयोजित करने के लिए अनुदान :-

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त - 1,00,000/- रु तक

राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त - 50,000/- रु तक

राज्य स्तरीय - 20,000/- रु तक

6.9 क्रीड़ा के लिए राष्ट्रीय समारोह आयोजित करने हेतु अनुदान:-

राशि रु 1,00,000/- तक

6.10 खेल अनुदान द्वारा सृजित खिलाड़ी कल्याण कोष हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुदान: -

राशि रु. 10,00,000/- तक

6.11 आयोजकों को प्रत्याभूति धन प्रदत्त किया जाएगा यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मैच / टूर्नामेन्ट राजस्थान में आयोजित किया जाए: -

जितने के लिए सरकार सहमत हो।

6.12 किसी ऐसे अनवरत क्रियाकलाप के लिए अनुदान जों इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हों किन्तु राज्य में खेल और क्रीड़ा की उन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए-

प्रत्येक मामले में गुणावगुण के अनुसार ऐसे क्रियाकलापों हेतु रु2,00,000/- (दो लाख रुपये) तक की राशि प्रमुख शासन सचिव स्तर पर, रु.5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक की राशि मा0 युवा मामले एवं खेल मन्त्री के स्तर पर तथा इससे

अधिक राशि का अनुमोदन मा० मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया जाना आवश्यक होगा। इसमें संस्था एवं व्यक्तिगत दोनों को देय होगा।

7. सांपत्तिक संस्थाएँ:—

सांपत्तिक संस्थाएँ (अर्थात् ऐसी संस्थाएँ जो राजस्थान सरकार के द्वारा न तो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन और न ही राजस्थान लोक न्याय अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम इत्यादि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं) इन नियमों के अधीन किसी आवर्ती अनुदान की पात्र नहीं होंगी।

तथापि नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त मामलों में अनावर्ती अनुदान किसी व्यक्ति के मामले में अधिकतम 2,000/- रु के अध्वधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा अर्थात् उसका प्रयोजन खेल और क्रीडा क्रियाकलाप से संबंधित हो।

8. मंजूरी प्राधिकारी :-

प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ खेल विभाग - 5,00,000/- रु तक (प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में) अनावर्ती

माननीय खेल मंत्री महोदय - किसी व्यष्टिक मामले में 10,00,000 रूपये तक अनावर्ती।

उपर्युक्त उपनियम 10(i) के अधीन निर्दिष्ट रकम से अधिक।

9. सहायता अनुदान की रकम का आहरण :-

इन नियमों के अधीन मंजूर हो गयी रकम, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा आहरित की जायेगी तथा प्राप्तिकर्ता की उससे उचित रसीद प्राप्त करने के पश्चात् संदत्त की जायेगी।

10. वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान मंजूर करने की शर्तें -

इन नियमों के अधीन कोई भी अनुदान तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राप्तिकर्ता निम्नलिखित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों पर सहमत न हो जायें जो राजस्थान सरकार के खेल विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित की जायें -

1. किसी संस्था/व्यक्ति को अनुदान या वित्तीय सहायता का संदाय इस परन्तु के अधीन होगा कि अपेक्षित बजट उपलब्ध राज्य विधान मण्डल द्वारा मंजूर कर दिये गये है।
2. कि रकम का उपयोग उसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह मंजूर की गयी है।
3. कि रजिस्ट्रार/चार्टर्ड लेखाकार या किसी ऐसी अन्य ऐजेन्सी, जिसके लिए राज्य सरकार का युवा मामले एवं खेल विभाग सहमत हो, द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित लेखें संस्था/संगठन द्वारा उस वित्तीय वर्ष जिसमें वह मंजूर किया गया है, की समाप्ति के दो माह के भीतर प्रस्तुत कियें जायेंगे।
4. आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षरित उपयोजन प्रमाण-पत्र, संदाय की तारीख से 3 माह के भीतर या अधिक से अधिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राजस्थान सरकार के खेल विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि ऐसी अवधि सरकार के खेल विभाग द्वारा विनिर्दिष्टतः सम्यक रूप से बढ़ा दी गयी हों। पुरस्कार राशि प्राप्त करने पर खिलाड़ियों द्वारा उपयोजन प्रमाण पत्र ना दिये जाने की छूट प्रदान की जायेगी।

5. किसी व्यक्ति को अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या मंत्री, खेल विभाग को विहित प्रपत्र में करना होगा जिसमें व्यय का विवरण और स्पर्धा में उसके भाग लेने का प्रमाण-पत्र तथा उसके पिछले प्रदर्शनों का विवरण होगा।
6. कि संस्था के लेखें भारतीय संपरीक्षा विभाग या राजस्थान सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
7. कि अनुपयोगिता रकम, यदि कोई हो, उपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर या जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान मंजूर किया गया है उसकी समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, राजस्थान सरकार के खेल विभाग को प्रतिदत्त करनी होगी।
8. कि संस्था की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट/समारोह इत्यादि आयोजित करने से पर्याप्त समय पूर्व प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या मंत्री, खेल विभाग को अनुदान के लिए विहित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
9. संस्था वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी—
 - (i) संस्था / संगठन / क्लब इत्यादि के नवीनतम पदाधिकारियों के नामों के सहित संगठन के संविधान की प्रति।
 - (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (iii) पिछले 3 वर्षों के क्रियाकलापों का विवरण।
 - (iv) पिछले 3 वर्षों का आय-व्यय विवरण।
 - (v) जिस प्रयोजन के लिए सहायता का आवेदन किया गया है, उसकी आय-व्यय का प्राक्कलन।
 - (vi) प्रत्येक कार्यक्रम के प्राक्कलित व्यय के सहित चालू वर्ष के कार्यक्रम पर एक टिप्पणी।
10. कोई अन्य शर्त जिसे राज्य सरकार अधिरोपित करे।
11. ओलम्पिक, राष्ट्रमण्डल एवं ऐशियाई खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को अनुदान भारत सरकार के पुरस्कार राशि की प्रचलित दरों के अनुसार ही माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन पश्चात् देय होगा।
12. विशेष परिस्थितियों में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अभिशंषित करें कि किसी पंजीकृत संस्था से प्रतियोगिता आयोजित कराया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में इन नियमों के अन्तर्गत सहायता देने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

11. निर्हरता :-

ऐसी, किसी संस्था/व्यक्ति को, जो अनुदान की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहा है या जिसने सरकार द्वारा मंजूर की गयी रकम का दुरुपयोग किया है, इन नियमों के अधीन भविष्य में कोई अनुदान तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि विफलता के कारण, मंजूरी प्राधिकारी के समाधान हेतु स्पष्ट न कर दिये गये हो।

ऐसे मामलों में, जहाँ अनुदान उसी अवधि और उसी क्रियाकलाप के लिए खेल विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग/एजेन्सी से प्राप्त कर लिया गया हो, खेल विभाग और अनुदान मंजूर करने के प्रश्न पर विचार प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा।

12. छूट :-

सरकार इन नियमों के अधीन अनुदान की शर्तों में किसी भी शर्त को किसी भी व्यक्तिगत मामलों में शिथिल कर सकेगी।

13. अनुदान से संबंधित अन्य शर्तें :-

1. किसी संस्था/व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत कराने का आधार ऐसी संस्थाएं उन्हें सौंपे गये कार्यों/उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए अनुभव व प्रबन्धकीय योग्यता रखते हों तथा राशि का फलदायक रूप से उपयोग करने में सक्षम हो तथा वांछित प्रयोजन हेतु राशि उपयोग लेने तथा पारदर्शी प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा प्रभावकारी एवं निरन्तर जांच कराने का तन्त्र भी विकसित किया हो।
2. अनुदान हेतु चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया हेतु खेल विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मानदण्ड निर्धारित किये जावेंगे।
3. अनुदान की राशि उस वर्ष में खर्च की संभावना के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।
4. अनुबंध की राशि जारी कराने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट-9) बन्ध पत्र प्रस्तुत कराना होगा। बन्ध पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा वहन की जावेगी। अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त निकाय को बन्ध पत्र प्रस्तुत कराने की बाध्यता नहीं रहेगी अथवा सरकार द्वारा किसी संस्था को बन्ध पत्र के विकल्प प्रारूप (MoU) करने अथवा बन्ध पत्र व विकल्प प्रारूप से भी निर्मुक्त किया जा सकता है।
5. संस्था से अनुदान भुगतान से पूर्व इस आशय की घोषणा भी ली जानी है कि उसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत/सरकार/संस्थान से सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
6. अनुदानित संस्था को अनावर्ती खर्चों के लिए स्वीकृत राशि यथा भवन निर्माण, उपकरणों का क्रय, खेल स्टेडियम का निर्माण का किसी भी तरह के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा ऐसी सम्पत्ति को राज्य सरकार के स्वत्व (title) के अधीन ही क्रय किया जावेगा तथा ऐसी सम्पत्ति के निस्तारण पर प्राप्त राशि राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार परिसम्पत्तियों को स्वीकृति से भिन्न प्रयोजन हेतु व्ययनित नहीं किया जावेगा, भारग्रस्त नहीं किया जावेगा तथा अन्य कार्यों हेतु उपयोग नहीं लिया जावेगा।
7. सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अनुदान हेतु स्वीकृत राशि के लिए राजस्थान खेल परिषद को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 285(3) के अनुसार खिलाड़ी को उपयोजन प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।
8. अनुदान स्वीकृति उपरान्त किसी भी प्रकरण में बन्धपत्र को प्रभावी कराये जाने की बाध्यता नहीं होगी तथा बिना किसी कारण बताये प्रशासनिक आधार पर बन्धपत्र को निरस्त कराये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
9. युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान की शर्तों, प्रतिबंधों, मानदण्डों संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में प्रमुख युवा मामले एवं खेलकूद विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
10. न्यायिक प्रकरणों में क्षेत्राधिकारी जयपुर शहर ही रहेगा।

(प्रवीण कुमार लेखरा)
शासन उप सचिव

परिशिष्ठ "A"

CATEGORY - A

**S. N. Sports Discipline Recognized By Indian Category - A
Olympic Association and MYAS**

1	Archery	A
2	Athletics	A
3	Badminton	A
4	Basket Ball	A
5	Billiard & Snooker	A
6	Bowling	A
7	Boxing	A
8	Cycling	A
9	Equestrian	A
10	Fencing	A
11	Foot Ball	A
12	Golf	A
13	Gymnastic	A
14	Hand Ball	A
15	Hockey	A
16	Ice Hockey	A
17	Ice Skating	A
18	Judo	A
19	Kabaddi	A
20	Kayaking & Canoeing	A
21	Kho-Kho	A
22	Luge	A
23	Morden Pentathlon	A
24	Net Ball	A
25	Rowing	A
26	Rugby	A
27	Shooting	A
28	Squash	A
29	Swimming	A
30	Table Tennis	A
31	Taekwondo	A
32	Tennis	A
33	Triathlon	A
34	VolleyBall	A
35	Weight Lifting	A
36	Wrestling	A
37	Wushu	A
38	Yachting	A

Note :-

Category A - Sports recognised by Indian Olympic Association and Ministry of Youth Affairs & Sports are only included in Category A

परिशिष्ठ "B"

CATEGORY - B

S. N.	Sports Discipline Recognized By MYAS but are not recognised by Indian Olympic Association	Category - B
1	Amateur Soft Tennis	B
2	Atya Patya	B
3	Ball Badminton	B
4	Base Ball	B
5	Bridge	B
6	Carrom	B
7	Chess	B
8	Cycle Polo	B
9	Jump Rope	B
10	Karate	B
11	Power Lifting	B
12	Roll Ball	B
13	Roller Skating	B
14	Sepak Takraw	B
15	Shooting Ball	B
16	Soft Ball	B
17	Tennikoit	B
18	Tennis Ball Cricket	B
19	Ten-Pin Bowling	B
20	Tug of War	B

Note :-

Category B - Sports recognised by Ministry of Youth Affairs & Sports but are not recognised by Indian Olympic Association are only included in Category B

CATEGORY – C

All other games not included in Category A & B are thus included in Category C.